

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक
प्रति,

/टीसी/144/इंदौर/उपां/नग्रानि/2022

भोपाल,दिनांक:- /03/2023

- 1 कलेक्टर,
जिला इंदौर (म.प्र.)।
- 2 संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, इंदौर (म.प्र.)।
- 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
जिला इंदौर (म.प्र.)।
- 4 आयुक्त,
नगर पालिक निगम, इंदौर
जिला इंदौर (म.प्र.)।

विषय:-

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क-(1)-ख के अधीन इंदौर विकास योजना, 2021 में आवासीय भूमि उपयोग में उपांतरण बाबत - ग्राम बारोली तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर कुल रकबा 7.8230 हेक्टेयर (आवेदक श्री उमाकांत पिता श्री लीलधर शर्मा, इंदौर)

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा इंदौर विकास योजना, 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(मुकेश चन्द गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल,दिनांक: /03/2023

पृ. क्रमांक 1663 /टीसी/144/इंदौर/उपां/नग्रानि/2022
प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- 2 संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:- 01/03/2023

क्रमांक 1060 /टीसी/144/इंदौर/उपां/नगानि/2022 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट इंदौर विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.)	आवेदित रकबा (हेक्टे.)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1	ग्राम बारोली तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर	1/2/2	0.3080	0.3080	0.3080	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
2		17/2	0.7000	0.7000	0.7000	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
3		18/1	0.2040	0.2040	0.2040	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
4		19/1	0.1470	0.1470	0.1470	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
5		20/2	0.0600	0.0600	0.0600	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
6		1/1	2.1500	2.1500	2.1500	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
7		1/2/1	0.9200	0.9200	0.9200	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
8		17/1	3.1840	3.1840	3.1840	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
9		20/1	0.0610	0.0610	0.0610	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
10		21	0.0890	0.0890	0.0890	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
	कुल रकबा		7.8230	7.8230	7.8230		

शर्त :-

- इंदौर विकास योजना, 2021 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व दिशा एवं उत्तर दिशा में विद्यमान एवं प्रस्तावित 75.00 मीटर - 75.00 मीटर चौड़े मार्गों को विकास योजना प्रस्ताव अनुसार विकसित करना तथा मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा तथा संबंधित विभाग के मानकों का पालन करना आवश्यक होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।


(मुकेश चन्द्र गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल